



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक:-496/32 व्यग(प्र0सहा0)-अधि0-उ0/18


दिनांक-09/06/2018।

::कार्यालय-ज्ञापः:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण 2017 (सं0-01 वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में निम्न प्रधान सहायक को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-


क्रम सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1-	श्री चारु पन्त प्रधान सहायक	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रामनगर	प्रा0ख0 पिथौरागढ़	नियम 17 (1) क

1. सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. सम्बन्धित अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


(सत्येन्द्र शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय, लो0नि0वि0 देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0 हल्द्वानी/पिथौरागढ़।
3. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय/तृतीय वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी/पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़/रामनगर।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/रामनगर।
6. आई0टी0 हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून को विभागीय वेब-साईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री चारु पन्त, प्रधान सहायक, नि0ख0, लो0नि0वि0, रामनगर।
8. गार्ड पत्रावली।


मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
09/06/18



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

व्यवस्थापन "ग" वर्ग

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-eicpwwd@nic.in

पत्रांक:- 491/32 व्यग(प्र0सहा0)-अधि0-उ0/18

दिनांक- 09/06/2018।

::कार्यालय-ज्ञापः

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण 2017 (सं0-01 वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में निम्न प्रधान सहायक को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

क्रम सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1-	श्री सत्येन्द्र सिंह रावत प्रधान सहायक	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रामनगर	नि0ख बैजरो	नियम 17 (1) क

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- सम्बन्धित अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सत्येन्द्र शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय, लो0नि0वि0 देहरादून के संज्ञानार्थ।
- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0 हल्द्वानी/पौड़ी।
- अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय/12वां वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल/पौड़ी।
- अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामनगर/बैजरो।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रामनगर/बैजरो।
- आई0टी0 हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून को विभागीय वेब-साईट में अपलोड किये जाने हेतु।
- श्री सत्येन्द्र सिंह रावत, प्रधान सहायक, नि0ख0, लो0नि0वि0, रामनगर।
- गार्ड पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
9.6.18
29/6/18



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक:- 492/32 व्यग(प्र0सहा0)-अधि0-उ0/18

दिनांक-09/06/2018।

::कार्यालय-ज्ञापः

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण 2017 (सं0-01 वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में निम्न प्रधान सहायक को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

क्रम सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1-	श्रीमती गौरी सुन्दरियाल प्रधान सहायक	अ0ख0ऋषिकेश	प्रा0ख0 डीडीहाट	नियम 17 (1) क

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- सम्बन्धित अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सत्येन्द्र शर्मा)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय, लो0नि0वि0 देहरादून के संज्ञानार्थ।
- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून/पिथौरागढ़।
- अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय/09वां वृत्त, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़/देहरादून।
- अधिसासी अभियन्ता, प्रान्तीय/अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, डीडीहाट/ऋषिकेश।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, डीडीहाट/ऋषिकेश।
- आई0टी0 हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून को विभागीय वेब-साईट में अपलोड किये जाने हेतु।
- श्रीमती गौरी सुन्दरियाल, प्रधान सहायक, अ0ख0, लो0नि0वि0, ऋषिकेश।
- गार्ड पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

